रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 9 सितम्बर, 1996/18 भाद्रपद, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 9 सितम्बर, 1996

संख्या 1-48/96-वि0 स0.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन विधेयक, 1996

2623-राजपत्र/96-9-9-96—1,232. (4251) मूल्य: 1 रुपया।

(1996 का विधेयक संख्यांक 22) जो दिनांक 9 सितम्बर, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

1996 का विधेयक संख्यांक 22.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन विधेयक, 1996

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 7) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन अधिनियम, 1996 है ।

(2) यह प्रथम अगस्त, 1996 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

1971 का 7

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 की धारा 3 में,--

(i) खण्ड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड (ञ-क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:--

"(ञ-क) किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, जहां किसी व्यक्ति को उस पर नियुक्त करने की शक्ति या इससे हटाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है;"; और

(ii) खण्ड (ड) में "अध्यक्ष या उपाध्यक्ष," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ।

1996 के अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन ।

1996 का 1

3. (1) हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन अध्यादेश, 1996 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

1996 का 1

(2) हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन अध्यादेश, 1996 के निरसित होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 की धारा 3 (ङ) के अधीन विधान सभा के आसीन सदस्य जिन्हें कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है केवल प्रतिकारात्मक भत्तों के हकदार हैं । यदि ऐसे आसीन सदस्यों को अधिक सुविधाएं और भत्ते दिए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्होंने लाभ के पद धारण किए हैं तथा वे विधान सभा सदस्य के रूप में बने रहने से निरर्हित हो जाएंगे । ऐसे लोक निकायों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए उन्हें अधिक सुविधाएं और भत्ते उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इसलिए विधान सभा सदस्य के रूप में उनकी निरर्हताओं को रोकने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 7) में तत्काल संशोधन किया जाना अपेक्षित था, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (निरर्हताएं हटाना) संशोधन अध्यादेश, 1996 (1996 का 1) 26 जुलाई, 1996 को प्रख्यापित किया गया और इसे प्रथम अगस्त, 1996 के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) के अंक में प्रकाशित किया गया था । उक्त अध्यादेश अब नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक, उपरोक्त अध्यादेश को, बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

शिमला : 171004 :

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

तारीख 9 सितम्बर, 1996.

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 2 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) AMENDMENT BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 (Act No. 7 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1996.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 1st. day of August, 1996.

Amendment of section 3.

7 of 1971

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971,—

(*i*) after clause (*j*), the following clause (*j-a*) shall be added, namely :—

"(*j-a*) the office of the Chairman or Vice-Chairman of any statutory or non-statutory body, where the power to make the appointment or power to remove the person from the office is vested in the State Government;"; and

(*ii*) in clause(*m*), the words and sign "chairman or vice-chairman," shall be deleted.

Repeal of Ordinance No. 1 of 1996.

1 of 1996

3. (1) The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 1996, is hereby repealed.

1 of 1996

(2) Notwithstanding the repeal of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 1996, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 3 (*m*) of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971, the sitting Members of the Legislative Assembly who are appointed as Chairmen or Vice-Chairmen of statutory or non-statutory bodies are entitled to compensatory allowance only. In case such sitting members are given more facilities and allowances they are assumed to be holding an office of profit, and will become disqualified to continue as the Members of the State Assembly. For the efficient discharge of their duties as Chairmen/Vice-Chairmen of such public bodies, it is necessary to provide more facilities and allowances to them. Thus to prevent their disqualifications as Members of the Legislative Assembly, it has become necessary to make amendments in the aforesaid Act.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 (Act No.7 of 1971) was required to be made urgently, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated, under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 1996 (1 of 1996), on the 26th July, 1996 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) dated the 1st August, 1996. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

Hence this Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA : 171004:
The 9th September, 1996.

FINANCIAL MEMORANDUM

-NIL-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।